न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 81 /2022

उनवान

1– गोपाल पुत्र कल्याण खारोल निवासी आरणी

2– मिठुलाल पुत्र कल्याण खारोल निवासी आरणी

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामा पिता हजारी खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

2– रामकरण पिता गोमा खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

3– रतना पिता सोला भील निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

4– माधु पिता भज्जा बैरवा निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

5– सुवा पिता उंकार बैरवा निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

6– तेजु पिता घीसा खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

7– बन्ना पिता रामा खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

8– मांगी देवी पुत्री कल्याण खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

9– रामप्रसाद पिता कल्याण खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

10– लहर देवी पत्नी कल्याण खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

11– सोहन पिता कल्याण खारोल निवासी आरणी तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **16.08.2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **आरणी पटवार हल्का अरनिया रासा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1279 रकबा 0.25 है0, 1784 रकबा 0.22 है0, 2064 रकबा 0.11 है0, 2175 रकबा 0.06 है0, 2228 रकबा 0.16 है0, 2648 रकबा 0.50 है0, 2649 रकबा 0.49 है0** कुल किता **7** रकबा **1.79** हैक्टेयर की **प्रार्थीगण** खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थीगण** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम आरणी पटवार हल्का अरनिया रासा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **आरणी** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 7 रकबा 1.79 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 800/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **16.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा